छत्तीसगढ़ लघुवेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ

प्रधान कार्यालय
कर्मचारी भवन महानदी जल संसाधन विभाग
मु.अ. कार्यालय के बाजू में, रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक 6472
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त
बस्तर संभाग जगदलपुर (छ.ग.)

जिला कार्यालय
पानी टंकी ऑफिस,
कलेक्ट्रेट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)

विन्देश्वर राम रौतिया
प्रान्ताध्यक्ष
कार्यालय मुख्य अभियंता
महानदी जल संसाधन
विभाग, रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्र. 6472

अनिल यादव
जिला अध्यक्ष
बस्तर जिला, जगदलपुर
मोबा: 6260259130

क्रमांक/209. /छ.ल.शा.च.व.क. संघ/ दिनांक 21/2/26.

संरक्षक
श्री नीलकंठ साहू

कार्यकारिणी अध्यक्ष
श्री जीवन्त रोहितराज मुर्गो

सचिव
श्री कुंजबिहारी ठाकुर

उपाध्यक्ष
श्री बलराम सिंग ठाकुर
श्री निलाम्बर सेठिया
श्री फूल सिंह गद्दे
श्री बेनु राम यादव
श्री इन्दु ठाकुर
श्रीमती मंजूलता

कोषाध्यक्ष
श्री विनोद पानीग्राही

संगठन सचिव
श्री बी. गढ़िया
श्री कलनाथ कश्यप
श्री दयाराम बघेल
श्री हेमलाल सिन्हा

सहसचिव
श्री जयसिंग ठाकुर
श्री भागरथी बघेल
श्रीमती कल्पना नाग

कार्यालय सचिव
श्री प्रमीला भारती
श्री रामनाथ कश्यप

प्रचार प्रसार
श्री हिरामन राय
श्री जहमा मौर्य
श्री कमलेश कश्यप

मिडिया प्रभारी
श्री दीपक यादव
श्री गजेन्द्र ठाकुर

प्रति

मानीय सांसद महोदय

जिला–बस्तर (छ.ग.)

विषयः– जिला चिकित्सालय नेत्र विभाग में शराब पीकर महिला सुरक्षा गार्ड वं लैब कर्मचारियों के साथ रात्री मे शराब के नशे में धुत्त अभद्र व्यवहार एवं गाली–गलौज करने के कारण सहायक नोडल अधिकारी को उनके मूलपदस्थपना स्थान पर वापस भेजने बाबत्।

सन्दर्भः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला–बस्तर को दिये गये पत्र दिनांक 10/02/2026 के अनुसार।

उपरोक्त विषयान्र्गत लेख है कि श्री फिरोज़ खान सहायक नोडल अधिकारी नेत्र विभाग द्वारा दिलांक 09.12.2025 को समय रात्री 09.40 बजे महारानी अस्पताल परिसर नेत्र विभाग एवं पैथेलॉजी लैब के सामने शराब के नशे में धुत्त महिला गार्ड कर्मी के साथ–साथ रात्रीकालीन महिला लैब कर्मचारियों को भी अपने सहायक नोडल अधिकारी होने के रौब जताते हुए अभद्र रूप से अशोभनीय गन्दी–गन्दी गाली–गलौज एवं अभद्र व्यवहार किया तत्पश्चात श्री फिरोज खान को गार्ड कर्मचारियों के द्वारा बहुत समझाया गया कि आप नशे में हैं, आप यहां से चले जाइये, किन्तु उन्ही महिला गार्ड कर्मियों के द्वारा समझाइस देने बाद भी गन्दी–गन्दी गाली–गलौज किया। सबन्धित नोडल अधिकारी का यह कृत्य अशोभनीय है कोई भी अधिकारी/कर्मचारी का शराब सेवन कर ड्यूटी में आना शासकीय कार्य में बाधा पहुचाना यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(एक)(दो)(तीन)1.11.111 का स्पष्ट उल्लंघन है , एवं शासकीय नियमों का घोर उल्लंघन है तथा शराब पीकर आना महिला गार्ड कर्मचारियों एवं महिला लैब कर्मचारियों के साथ गाली–गलौज करना शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाना घोर लापरवाही उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है जो उचित नहीं है। सबन्धित कृत्य के लिये जॉच कमेंटी बनायी गयी जो कि मात्र औपचारिक्ता दिखाई पड़ रही है। क्यूकि उक्त जॉच कमेटी निर्मित कर लगभग 2 माह व्यतीत होने के पश्चात् भी किये गये उक्त कृत्य पर जॉच कमेटी बैठाकर कार्यवाही नही की गयी। महिला गार्ड कमचारियों के द्वारा सिविल सर्जन महारानी अस्पताल को शिकायत पत्र प्रस्तुत की गयी। इससे प्रतित होता है कि सबन्धित को उच्च अधिकारियों के द्वारा बचाने का

Recived
सांसद लोकसभा क्षेत्र क्रमांक-10 बस्तर (छत्तीसगढ़)
21/02/26

क्रमशः

संरक्षक
श्री नीलकंठ साहू

कार्यकारिणी अध्यक्ष
श्री जीवन्त रोहितराज मुर्गो

सचिव
श्री कुंजविहारी ठाकुर

उपाध्यक्ष
श्री बलराम सिंग ठाकुर
श्री निलाम्बर सेठिया
श्री फूल सिंह भद्रे
श्री वेनु राम यादव
श्री इन्दु ठाकुर
श्रीमती मंजूलता

कोषाध्यक्ष
श्री विनोद पानीग्राही

संगठन सचिव
श्री बी. गढ़िया
श्री कलनाथ कश्यप
श्री दयाराम बघेल
श्री हेमलाल सिन्हा

सहसचिव
श्री जयसिंग ठाकुर
श्री भागरथी बघेल
श्रीमती कल्पना नाग

कार्यालय सचिव
श्री प्रमीला भारती
श्री रामनाथ कश्यप

प्रचार प्रसार
श्री हिरामन राय
श्री जदमा मौर्य
श्री कमलेश कश्यप

महिला प्रभारी
श्री दीपक यादव
श्री कमलेश ठाकुर

प्रयास किया जा रहा है। सबन्धित नेत्र सहायक अधिकारी का विडियो वायरल हो चुका है एवं अखबार में भी आ चुका है जिसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला–बस्तर को प्रमाणित सहित कार्यवाही करने हेतु पत्र व्यवहार किया गया था। किन्तु संबन्धित अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही की गई इससे पूर्ण स्पष्ट होता है कि इस तरह कृत्य करने के पश्चात् भी कार्यवाही ना करना घोर अनियमित्ता को दर्शाता है। संबन्धित कर्मचारी पुनः इस प्रकार अभद्र व्यवहार कर सकता है। चुंकि श्री फिरोज खान पदनाम– नेत्र सहायक को संलग्न कर सहायक नोडल अधिकारी के पद पर रखा गया है ।

अत संघ आपसे मांग करता है कि ऐसे कृत्य करने वाले वाले संबन्धित सहायक नोडल अधिकारी से तत्काल हटाते हुए उनके मूल पदस्थापना स्थान पर भेजा जाय एवं गठित जॉच दल को यथाशीघ्र जॉच कराने हेतु आदेशित् करने का कृपा करेगे। जिससे संबन्धित पीड़ित कर्मचारियों को न्याय मिल सके इसके लिये संघ आपका सदैव आभारी रहेगा।

संलग्नः–

1. खबार की कटिंग छांयाप्रति 02 ।
2. सन्दर्भित पत्र की छांयाप्रति 01।
3 पेपर कि छायाप्रति-03

अनिल यादव
जिला अध्यक्ष
बस्तर जिला , जगदलपुर
संपर्कः– 6260259130

प्रतिलिपि–

1. माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छ.ग. शासन की ओर सूचनार्थ।
2. स्वास्थ्य सचिव छ.ग. शासन की ओर सूचनार्थ
3. आयुक्त महोदय बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु कियार्थ।
4. कलेक्टर महोदय जिला–बस्तर की ओर सूचनार्थ
5. संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. प्रान्ताध्यक्ष श्री बिन्देश्वर राम रौतिया कार्यालय मुख्य अभियन्ता महानदी जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग) की ओर सूचनार्थ।

अनिल यादव
जिला अध्यक्ष
बस्तर जिला , जगदलपुर
संपर्कः– 6260259130